

न्यायालय अपर समाहर्ता, खूँटी।

In The Court of Additional Collector, Khunti

अनुसूची - 4 फॉर्म नं० 562
Schedule - Form No. 562

आदेश पत्रक

ORDER SHEET

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129
Record Manual 1941 Rule 129

दाखल करीबिन नं० 9815 वर्ष 2011 धारा
Case No. Year Section
अपीलकर्ता / प्र० प०/आवेदक प्रतिवादी /दि०प०/विपक्षी
Appellant / P/Petitioner फादर विजयमठु वनाग राज्य सरकार Respondent / S.P./ O.P.

आदेश क्रमांक / तिथि Order No./ Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
1	2	3
14-10-10	<p>आवेदक फादर- विजयमठु पिता- एच. एलेक्स रिबेलो ए० डी० डी० स्स० प्रोजेक्ट डायरेक्टर टी० सी० री० आर्जि फोर मेडिकल एजुकेशन नार्थ इंडिया हेड ऑफिस पुस्तलिया रोड, रौन्की, थाना-ठोतवाले जिला रौन्की द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी के न्यायालय द्वारा दाखिल एव रिज अपील नं० 02/11-2 में दिनांक 10.10.11 को यारि अदेश के विरुद्ध दाखल किया गया है। Put up on 19.10.11 for the hearing on the point of admission.</p> <p style="text-align: center;">(Signature) T.P.X</p>	19-10-11 अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गयी है।

आदेश क्रमांक दिनांक Order No./Date	आदेश एवं हस्ताक्षरों का प्रमाण Order and Signature of Officer	आदेश की तारीख दिनांक Action taken on order with date
17-07-19	आवेदक अनुपस्थित है निम्न - प्रमाण का अभिलेख संलग्न है दिनांक 02-08-19 को रखा। अपर महाद्वी	3
02-08-19	आवेदक अनुपस्थित है निम्न प्रमाण का अभिलेख संलग्न है दिनांक 16-08-19 को रखा। अपर महाद्वी	
16-08-19	आवेदक अनुपस्थित है निम्न - प्रमाण का अभिलेख संलग्न है दिनांक 30-08-19 को रखा। अपर महाद्वी	
30-08-19	आवेदक अनुपस्थित है निम्न - प्रमाण का अभिलेख संलग्न है	
01-07-20	आभिलेख उपस्थापित। सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग कारखाने सरकार राँची के पत्रांक-332/शं० दिनांक-24-01-20 के द्वारा प्रेषित है The Bihar Tenants Holding (maintenance of Record) Act 1973 की धारा 16 के	


आदेश क्रमांक
/दिनांक
Order No./Date

आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर
Order and Signature of Officer

आदेश की गयी
कार्रवाई की तिथि सहित
Action taken on order
with date

संवर्गित Revision की सुनवाई करने का अधिकार मात्र collector को है न कि Additional collector अथवा Deputy collector को है।

अतः उक्त निमम्/धारा के मासिक में संशोधन कारवाई/सुनवाई हेतु अतिरिक्त उपस्थित सूची के मासिक में हस्ताक्षरित करें।


17/11/2020
आप समाह्वी
सूची।

अतिरिक्त उपस्थापित/अतिरिक्त अपर समाह्वी सूची के मासिक से हस्ताक्षरित होकर अग्र है।

अतिरिक्त पर अग्रवर कार्रवाई हेतु वाद पंजी में दर्ज करने हुए पत्रवारों को सूचना निर्गत करें।
अतिरिक्त दिनांक को रखें।